

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025

दिनांक 29/03/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 28.03.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना कोतवाली, पुलिस टीम द्वारा 10 लीटर देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 उ0नि0 अशोक कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर सकरा नारा तीर मोड के पास से अभियुक्त महेन्द्र बिंद पुत्र सुरजू बिंद निवासी जमालपुर (भटौली) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम महेन्द्र बिन्द उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -**

महेन्द्र बिंद पुत्र सुरजू बिंद निवासी जमालपुर (भटौली) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

10 लीटर अवैध देशी शराब

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 204/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

**02. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 10 लीटर देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर जैतपुरा गेट के पास से अभियुक्त सूर्य प्रकाश पाल पुत्र राजाराम नि0 जमालपुर भटौली थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सूर्य प्रकाश पाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-**

सूर्य प्रकाश पाल पुत्र राजाराम नि० जमालपुर भटौली थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

10 लीटर अवैध देशी शराब

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु०अ०सं० 205/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

**03. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2025 को माननीय न्यायालय अपर सिबिल जज (जू०डि०) न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 08 गाजीपुर द्वारा जारी 82 सी०आर०पी०सी० सम्बन्धित मु०स० 3645/13 बनाम मूलचरन साहनी पुत्र अमरदेव साहनी निवासी हुसेनपुर थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 43 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता -**

मूलचरन साहनी पुत्र अमरदेव साहनी निवासी हुसेनपुर थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 43 वर्ष

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर